



# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : <http://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि. प्रा. / नि. 1-11 / 2023

231

/पटना, दिनांक 25/01/2023

प्रेषक,

पुरुषोत्तम पासवान,  
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी – सह – जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.), वैशाली।

उप विकास आयुक्त – सह – नोडल पदाधिकारी (स. स.), वैशाली।

प्रखंड विकास पदाधिकारी – सह – निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.), गोरौल।

विषय : पिरापुर मथुरा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स), प्रखंड – गोरौल के निर्वाचन हेतु  
मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 क (1) (यथासंशोधित) एवं  
सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के आलोक में  
उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का  
निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना  
है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता  
अधिनियम, 1935 के तहत निर्बंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए  
जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) एवं  
अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी  
को निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) के रूप में अधिसूचित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास  
पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे, लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी अपने  
आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. सम्प्रति, समादेश याचिका संख्या- 24786 / 2019 में दिनांक 09.01.2023 को  
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार  
पिरापुर मथुरा प्राथमिक कृषि साख समिति की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराना  
चाहता है।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या- 24786 / 2019 के पारा 9  
और 10 में निर्वाचन से संबंधित निम्नांकित आदेश पारित है, जिसका अक्षरण: अनुपालन अनिवार्य  
है:- 9. Accordingly, taking an overall view in the matter, the Court holds that the  
election cannot be sustained and the exercise has to be redone right from the inception i.e,  
preparation of the voter list itself. However, the said exercise will be limited to the 1116  
members already there in the voter list and the 392 fresh applicants.

10. The State Election Authority is directed to issue fresh programme starting  
from the stage of preparation of voter list. The Court would indicate that the  
consideration would not extend beyond the 1116 persons already being on the voter list  
and the concerned 392 applicants and the exercise shall be taken to its logical  
conclusion, strictly in accordance with law including the statutory aspect of the Act and  
the Rules as also the bye-laws of PACS. The same be initiated within four weeks from  
today. Further, any objections which may be filed shall be dealt with and disposed of in  
time strictly in accordance with law after proper consideration of both the factual and  
legal aspects.

5. बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-8 एवं प्राथमिक कृषि साख  
समिति लिमिटेड की उप विधियाँ की कंडिका-7 में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है,

जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति सहकारी सोसाइटी के सदस्य नहीं बन सकते यदि,

- (i) वह अठारह वर्ष से कम उम्र का है।
- (ii) वह स्थायी रूप से सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में अपना निवास उठा लिया हो।
- (iii) वह सोसाइटी का अथवा संबद्ध करनेवाली सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मचारी है।
- (iv) वह पागल है।
- (v) उसने दिवालिया या अनुशोधनाक्षम (Insolvent) न्यायनिर्णीत होने के लिये आवेदन किया है या वह अप्रमाणित दिवालिया या अनुशोधनाक्षम (Insolvent) है।
- (vi) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिये सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिये सजा हुई हों जो नैतिक आचरण को अन्तग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गयी हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से पांच वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

i) माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में पिरापुर मथुरा प्राथमिक कृषि साख समिति के प्रशासक प्रपत्र—एम 1 में तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची तैयार करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रशासक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख प्रपत्र—एम 1 के स्तंभ—5 में निश्चित रूप से कर दिया जायेगा। साथ ही प्रपत्र— एम 1 के स्तंभ—6 में सह—सदस्य होने का भी उल्लेख किया जाना है। विगत चुनाव में जो सदस्य थे, वे तब तक सदस्य ही माने जाएंगे जब तक समिति अपने अभिलेखों, यथा— सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित नहीं कर दें कि अमुक व्यक्ति सह—सदस्य है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह होने पर सन्देह का लाभ सदस्य को दिया जाएगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समादेश याचिका संख्या 14396 / 2019 बिन्दवाल प्राथमिक कृषि साख समिति एवं अन्य —बनाम— राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य समरूप याचिकाओं में दिनांक 27.08.2019 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का उल्लंघन न हो। प्रशासक प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 01.02.2023 तक समर्पित करेंगे। अगर प्रशासक उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहते हैं, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देख—रेख में तैयार करायें।

ii) प्रशासक द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रामाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख, यथा— सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 03.02.2023 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हों। साथ ही पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में अंकित सदस्य के नाम को सह—सदस्य के रूप में मान्यता नहीं देंगे, जब तक कि पूर्व उपकंडिका 6 (1) के अनुसार निर्विवादित रूप से प्रमाणित हो जाए कि वह व्यक्ति सह—सदस्य है। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में समादेश याचिका संख्या 14396 / 2019 बिन्दवाल प्राथमिक कृषि साख समिति एवं अन्य —बनाम— राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य समरूप याचिकाओं में दिनांक 27.08.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश तथा समादेश याचिका संख्या— 24786 / 2019 में दिनांक 09.01.2023 को पारित न्यायादेश का अक्षरशः अनुपालन हो।

iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित / हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियम कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी।

7. उक्त प्राथमिक कृषि साख समिति की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियम किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	प्रशासक द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	01.02.2023
ii	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	03.02.2023
iii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	04.02.2023
iv	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे / आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे / आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	04.02.2023
v	दावे / आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	04.02.2023– 14.02.2023 तक
vi	दावे / आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	16.02.2023

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

- (क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ख) संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) दिनांक 04.02.2023 को निम्नरूप से किया जायेगा :-

#### Step -1 - लॉगिन करने हेतु निर्देश

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

#### Step -2 - प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में हाँ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करें।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने—अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर “मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं” पर क्लिक कर देख सकेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 06.02.2023 तक उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचना प्राधिकार के ई—मेल [bseapatna@gmail.com](mailto:bseapatna@gmail.com) पर दिनांक 07.02.2023 तक भेज दिया जायेगा।

अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति / सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि करायें, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र— एम 3 में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र— एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरांसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति—पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो अथवा सदस्य को सह—सदस्य अंकित कर दिया हो, तो समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। सह—सदस्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो यह समिति का दायित्व होगा कि अभिलेखों, यथा— सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित करें कि अमुक व्यक्ति सह—सदस्य हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह होने पर सन्देह का लाभ सदस्य को दिया जाएगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम समिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण—पत्र/ शेयर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा शेयर प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

13. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र—एम 5 में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन—सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के समिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप प्रपत्र—एम 6 पर देखा जा सकता है।

14. संबंधित सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़—छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

15. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी –सह— प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र—एम १ में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

16. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।

17. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 16.02.2023 को निम्नरूप से ऑनलाइन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :—

**Step -1.** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर ‘समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम’ पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

दिनांक 17.02.2023 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र—एम ७ पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र—एम ७ में ही उक्त प्रतिवेदन फैक्स (0612–2231562) तथा ई—मेल ([bseapatna@gmail.com](mailto:bseapatna@gmail.com)) या विशेष दूत द्वारा दिनांक 20.02.2023 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

18. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निवेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति को उपर्युक्त निवेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

19. कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोविड-19 संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधत्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़—भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अलग—अलग दावों के लिए अलग—अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा उनपर सुनवाई के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।

विश्वासभाजन,

(पुरुषोत्तम श्रीभाजन)  
सचिव।

ज्ञापांक : २३।

/पटना, दिनांक 25/01/2023

प्रतिलिपि: जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग

प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे प्रशासक से निर्धारित तिथि को प्रपत्र—एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 231

/पटना, दिनांक 25/01/2023

सचिव ॥१॥२॥

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया उक्त मतदाता सूची प्रकाशन कार्यक्रम / निर्वाचन कार्यक्रम का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप निष्पादन हेतु एक योग्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति अविलम्ब करेंगे।

ज्ञापांक : 231

/पटना, दिनांक 25/01/2023

सचिव ॥१॥३॥

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 231

/पटना, दिनांक 25/01/2023

सचिव ॥१॥४॥

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग / सचिव / सभी प्रशास्त्राखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 231

/पटना, दिनांक 25/01/2023

सचिव ॥१॥५॥

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, विद्वान अधिवक्ता, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव ॥१॥६॥

सचिव ॥१॥७॥